फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

2-12-2013

आवेदक **श्री कुँवर अजीत सिंह,** अधिवक्ता, पिता–स्व0 मकेश्वर सिंह, ग्राम–कंचन गढ़, थाना–हरनौत, जिला–नालन्दा, वर्त्तमान पता–आदर्श कॉलनी, न्यू ब्रह्मपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना के एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर कायम विविध शस्त्र वाद सं0–74/2004 में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–12.12.2013 निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि दिनांक–12.12.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे उच्च न्यायालय, पटना में वकालत करते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन लंबित रहने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका दायर की गई। आवेदक के द्वारा सुनवाई के क्रम में लिखित बयान के माध्यम से भी शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया। आवेदक से सुरक्षा भय/खतरा के बिन्दु पर पृच्छा की गयी, लेकिन उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया, पाया गया कि आवेदक के आवेदन पर वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–969/गो0, दिनांक–04.12.2005 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया था लेकिन आवेदक के स्थायी पता पर भी सत्यापन की आवश्यकता बतायी गयी थी। उक्त क्रम में आवेदक के स्थायी पता पर पुलिस अधीक्षक, नालन्दा से आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, नालंदा के द्वारा ज्ञापांक–28/श0, दि0–15.07.2008 से प्रतिवेदन भेजा गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–4827/श0, दि0–22.09.2008 से वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से आवेदक के द्वारा आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन के संबंध में स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–77/गो0, दि0–16.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मात्र अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। थानाध्यक्ष, गौरीचक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पटना उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक

ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, उनके द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं पूर्व में समर्पित लिखित बयान, उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री कुँवर अजीत सिंह, अधिवक्ता, पिता–स्व0 मकेश्वर सिंह, ग्राम–कंचन गढ़, थाना–हरनौत, जिला–नालन्दा, वर्त्तमान पता–आदर्श कॉलनी, न्यू ब्रह्मपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना का आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।